संख्या-13-1628/ 77-3-15-548(एम)/ 14

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांकः 28 सितम्बर,2015**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" के लिए यूपीडा हेतु 145.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-1117/ यूपीडा, दिनांक 18.08.2015 में किये गये अनुरोधानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत मद में "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" हेतु समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित बजट धनराशि 900.00 करोड़ में से यूपीडा हेतु ट्रांशमिशन लाइन की शिफ्टिंग, सरकारी स्कूल, गांव एवं नलकूप आदि की शिफ्टिंग तथा ई0आई0ए0 क्लीयरेंस आदि मद में धनराशि 145.00 करोड़(रूपये एक अरब पैतालीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्गत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(2) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके यूपीडा के पी0एल0ए0/ बैंक खाते/ अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) धनराशि का उपयोग केवल युटिलिटी शिफ्टिंग एवं ई0आई0ए0 क्लीयरेंश मद में ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में इसमें व्यववर्तन नहीं किया जायेगा।

(4) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय यूपीडा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि 145.00 करोड़ (रूपये एक अरब पैतालीस करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-आगरा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना-24-बृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या-1628(1)/77-3-15-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) अनुभाग/ औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 ।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।